राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निखाभू/सीसी–4/जिप्सम ई–टी.पी./2022–23/2853 दिनांकः 07.06.2022

खनिज जिप्सम के डीलर्स के पंजीयन एवं ई–टी.पी. के सम्बन्ध में गाईडलाईन

खनिज जिप्सम के डीलर्स के पंजीयन तथा ई–टी.पी. जारी करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त दिशा–निर्देश एवं पत्रों के अतिक्रमण में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम–81ए(2) के अन्तर्गत निम्नानुसार गाईडलाईन जारी की जाती है :–

(1) खनिज जिप्सम की खरीद, बिक्री, भंडारण, वितरण या प्रसंस्करण के व्यवसाय के लिए डीलर के रूप में नए पंजीयन के लिए ऑनलाईन आवेदन गाईडलाईन के साथ सलंग्न फार्म–ए में विभागीय वेबसाइट पर निम्नानुसार पूर्तियां करते हुये प्रस्तुत किया जाएगा :–

(i) नए पंजीयन के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रूपये 2,000/–

(ii) कोर्डिनेट्स के साथ स्टॉक यार्ड का लोकेशन मेप मय खसरा रिकार्ड।

(iii) स्टॉक यार्ड की भूमि का पट्टा या रेन्ट एग्रीमेन्ट।

(iv) स्टॉक यार्ड पर भंडारित खनिज की मात्रा, यदि है तो।

(2) विभाग में पहले से पंजीकृत डीलर्स को गाईडलाईन जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि में पंजीयन के लिए बिन्दु संख्या (1) के अनुसार आवेदन करना होगा। यद्यपि पहले से पंजीकृत डीलर्स को बिन्दु संख्या (1) में उल्लेखित आवेदन शुल्क 2,000/– रूपये के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में पंजीकृत डीलर्स के स्टॉकयार्ड में खनिज उपलब्ध नहीं होने पर इस गाईडलाईन के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीस दिवस में खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा पुनः पंजीयन किया जावेगा।

(3) पूर्व में पंजीकृत डीलर द्वारा नवीन स्टॉकयार्ड को पंजीकृत करने हेतु बिन्दु संख्या (1) के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने पर स्टाकयार्ड के कोर्डिनेट्स एवं भंडारित खनिज का मौके पर तीस दिवस की अवधि में भौतिक सत्यापन किया जायेगा। मौके पर खनिज नहीं पाये जाने पर एवं दस्तावेजों के सत्यापन होने के पश्चात् सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा नवीन लोकेशन का पंजीयन किया जावेगा।

(4) बिन्दु संख्या (1) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदक पी.ओ.पी./प्रोसेसिंग यूनिट धारक है तथा आवेदक द्वारा स्टॉक यार्ड में खनिज जिप्सम होना दर्शाया जाता है तो आवेदक को स्टॉक में उपलब्ध खनिज की रॉयल्टी भुगतान के साक्ष्य व खनिज को स्टॉक किये जाने की अवधि के दौरान ही आवेदक द्वारा पी.ओ.पी./प्रोसेस कर विक्रय किये गये खनिज के समस्त टैक्स इनवॉइस, जी.एस.टी. रिटर्नस् व यूनिट के बिजली के बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा खनिज का अवैध खनन व दुरूपयोग नहीं होने व प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सही होने का शपथ पत्र पेश करना होगा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों व स्टॉक में पाये गये खनिज की मात्रा यदि 500 मै. टन से कम है, तो उक्त दस्तावेजों तथा स्टॉक में पाये गये खनिज का सत्यापन सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत द्वारा किया जायेगा। स्टॉक में पाये गये खनिज की मात्रा 500 मै. टन या अधिक पायी जाती है तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन उक्त स्टॉक यार्ड के खनिज का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन के स्तर से किया जायेगा। खनिज की मात्रा के सत्यापन में विवाद की स्थिति होने पर समस्त खनिज मात्रा का विभागीय एम्पेनल्ड तुला यंत्रों पर तुलाई करा निस्तारण किया जावेगा।

अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त या अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन की अनुशंसा के पश्चात् तथा वार्षिक शुल्क राशि रूपये 25,000/–जमा होने के पश्चात् सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा डीलर को एक वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकेगा। पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म बी में ऑनलाईन जारी होगा।

(5) डीलर द्वारा पंजीयन की एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वार्षिक शुल्क की राशि रूपये 25,000/– जमा कराने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये पंजीयन स्वतः ही बढ जायेगा, जिसका नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र फार्म–बी में ऑनलाईन जारी होगा।

(6) नये डीलर के पंजीयन के समय में ऐसे मामलों में जिनमें विभाग को सूचित किये बिना, ऑनलाईन दर्शाये बिना खनिज जिप्सम का स्टॉक किया है तो ऐसे किसी व्यक्ति, पीओपी/प्रोसेसिंग इकाई को उसकी वार्षिक रूप से बिक्री, प्रोसेस क्षमता जो उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित हो जाये, को माहवार के रूप में गणना के आधार पर 3 माह से अधिक खनिज मात्रा को ओपनिंग स्टॉक नहीं माना जाये तथा इससे अधिक मात्रा में किसी व्यक्ति, पीओपी/प्रोसेस इकाई के पास खनिज पाया जाये तो उसे जब्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(7) संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा कारण अंकित करते हुए किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को डीलर के रूप में पंजीकृत करने से इनकार किया जा सकता है, जिसकी सूचना आवेदक को ऑनलाईन दी जावेगी।

(8) उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही होने के उपरान्त विभाग में पंजीकृत/पुनः पंजीकृत डीलर्स को ही खनिज जिप्सम के परिवहन हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के साथ संलग्न फार्म–सी में ई–टी.पी. जारी की जायेगी।

(9) पंजीकृत डीलर निम्नलिखित शर्तों की पालना हेतु बाध्य होगा:–

(i) डीलर को सर्वप्रथम एस.एस.ओ. आईडी बनवानी होगी। एस.एस.ओ. आईडी राज्य सरकार की वेबसाईट http//sso.rajasthan.gov.in पर बनाई जा सकती हैं।

(ii) पंजीयन के पश्चात् ई.टी.पी. जारी करने से पूर्व पी.ओ.पी./प्रोसेसिंग यूनिट धारक डीलर को स्टॉक यार्ड पर उपलब्ध समस्त रॉयल्टी पेड खनिज की मात्रा का प्रारम्भिक शेष स्वयं घोषणा के साथ ऑनलाईन इन्द्राज करना होगा। प्रारम्भिक शेष के साक्ष्य से सम्बन्धित दस्तावेजों को तीन वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा विभाग द्वारा चाहे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भिक शेष में उल्लेखित खनिज के रॉयल्टी पैड दस्तावेजों में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने का समस्त दायित्व डीलर का होगा तथा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(iii) डीलर द्वारा ई–रवन्ना के अतिरिक्त अन्य माध्यमों यथा विदेश अथवा अन्य राज्यों से आयात करने पर उसका इन्द्राज स्वंय को ऑनलाईन दर्ज करना होगा तथा इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों को तीन वर्ष तक के लिये सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा विभाग द्वारा चाहे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा। खनिज के रॉयल्टी पेड दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समस्त दायित्व संबंधित डीलर का होगा तथा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(iv) ई–टी.पी. जारी करने से पूर्व खनिज वाहनों का इन्द्राज विभागीय ऑनलाईन व्हीकल मास्टर्स में परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार करना होगा एवं खनिज क्रेताओं का इन्द्राज विभागीय ऑनलाईन क्लाईन्ट मास्टर में करना होगा। इसके अतिरिक्त परिवहन मार्ग पर स्थित विभागीय अधिकृत तुलायंत्रों को सलेक्ट करते हुए लिंक किया जाना आवश्यक होगा।

(v) डीलर द्वारा विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सर्वप्रथम खनिज की अन–कन्फर्म ई–टी.पी. जारी की जायेगी, जिसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से वाहन चालक के मोबाईल पर प्रेषित होगी। उक्त वाहन को अधिकतम तीन घण्टों में निकटतम तीन विभागीय एम्पेनल्ड तुलायंत्र में से किसी एक पर वास्तविक वजन के लिये ले जाना आवश्यक होगा। तुलायंत्र पर वास्तविक वजन होने के पश्चात कन्फर्म ई–टी.पी. जनरेट होगी, जिसकी सूचना संबंधित वाहन चालक के मोबाईल पर प्रेषित होगी। तुलायंत्र से गन्तव्य स्थल तक खनिज का परिवहन उक्त कन्फर्म ई–टी.पी. के एस.एम.एस. के जरिये किया जा सकेगा।

(vi) डीलर द्वारा ई–रवन्ना/ई–टी.पी. के माध्यम से प्राप्त खनिज की मात्रा स्टॉक में स्वतः दर्ज होगी। इसी प्रकार ई–टी.पी. में अंकित खनिज की मात्रा स्टॉक से स्वतः ही कम होगी। ऑनलाईन सिस्टम में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ही ई–टी.पी. जारी की जा सकेगी।

(vii) विभागीय अधिकारियों/अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा खनिज वाहनों को चैक करने पर ड्राईवर के मोबाईल में उपलब्ध एस.एम.एस. अथवा मोबाईल एप के माध्यम से वाहन नम्बर अंकित कर प्रमाणीकरण किया जायेगा। परिवहन के दौरान ई–टी.पी. की हार्ड कॉपी साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा।

(viii) डीलर को खनिजों के क्रय/विक्रय के सम्बन्ध में मासिक ई–विवरणी फार्म–डी में ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ix) डीलर किसी भी अधिकृत व्यक्ति को अनुमति देने हेतु बाध्य रहेगा कि अधिकृत व्यक्ति :–

(क) खनिज प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, भवन, कार्यालय या किसी प्रासंगिक परिसर सहित स्टॉकयार्ड में प्रवेश और निरीक्षण करे;

(ख) स्टॉकयार्ड में पड़े खनिज/खनिजों और/या इसके उत्पादों के स्टॉक का सर्वेक्षण, वजन एवं माप ले;

(ग) डीलर या किसी अन्य व्यक्ति के पास सम्बन्धित दस्तावेजों, पुस्तकों, रजिस्टरों या प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करे और इनका उद्धरण ले या प्रतियां बनाने;

(घ) डीलर या उससे सम्बन्धित व्यक्ति की जांच करे;

(ड) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी एकत्र करे;

(च) किसी भी खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों के नमूने एकत्र करे।

(x) डीलर खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के प्रावधानों, राज्य सरकार/निदेशक द्वारा समय–समय पर जारी सभी अधिसूचनाओं, आदेशों, गाईडलाईन्स एवं परिपत्रों का पालन करेगा।

(xi) डीलर द्वारा निम्नांकित अनिमितताओं पर सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा प्रारंभिक जांच पश्चात रजिस्ट्रेशन डी–एक्टीवेट किये जाने के प्रस्ताव सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता को प्रेषित किये जायेंगे, जिसके उपरान्त अधीक्षण खनि अभियन्ता स्तर से वार्षिक फीस जब्त करते हुये रजिस्ट्रेशन डी–एक्टीवेट किया जावेगा:–

(क) रवन्नाओं का दुरूपयोग जैसे बन्द खानों के रवन्नाओं के माध्यम से खनिज का स्टॉक करना।

(ख) ई–टी.पी. कन्फर्म (तुलाई होने) के बाद वाहन को पुनः तुलवाये जाने पर वजन में 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाये जाने पर।

(ग) रजिस्टर्ड डीलर द्वारा वाहन में भरे गये खनिज से भिन्न खनिज की ई–टी.पी. जारी किया जाना पाये जाने पर।

(घ) भौतिक एवं ऑनलाईन सिस्टम में उपलब्ध खनिज मात्रा में भिन्नता पाये जाने पर।

(ङ) डी.एम.जी.ओ.एम.एस. का अन्य प्रकार से दुरूपयोग करने पर।

(xii) उपरोक्तानुसार अनियमिततायें पाये जाने पर डी–एक्टीवेट किये गये पंजीयन के क्रम में सम्बन्धित डीलर द्वारा आईडी पुनः एक्टीवेट करने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन का निस्तारण सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता के स्तर पर किया जायेगा। सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता प्राप्त प्रतिवेदन पर जांच कर अनियमितता के निराकरण होने/स्पष्टीकरण संतोषप्रद होने/देय शास्ती व अन्य राशि जमा होने के पश्चात प्रतिवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने व आईडी पुनः एक्टीवेट करने/नहीं करने का स्पीकिंग ऑडर जारी किया जावेगा व डीएमजीओएमएस सिस्टम पर अपलोड करेंगे।

(xiii) अधीक्षण खनि अभियन्ता के निर्णय से असंतुष्ट होने पर डीलर द्वारा सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक (जोन) के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त अतिरिक्त निदेशक (जोन) द्वारा अपने स्तर से प्रकरण की जांच कर गुणावगुण के आधार पर अधिकतम 7 दिवस में एक्टीवेट करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में निर्णय किया जावेगा व निर्णय डीएमजीओएमएस सिस्टम पर अपलोड करेंगे।

(xiv) दो से अधिक बार उपरोक्तानुसार अनियमितताओं के आधार पर पंजीयन डी–एक्टीवेट करने की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान), जोन द्वारा पंजीयन निरस्त (रद्द) किया जा सकेगा।

(डॉ॰ कुंज बिहारी पण्ड्या),
आई.ए.एस
निदेशक,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

FORM-A

Application for Registration of Dealer for Gypsum

To,

The Mining Engineer/
Assistant Mining Engineer
Department of Mines and Geology
Rajasthan ....

Sir,

1. I/we request you to register me as dealer for business of buying, selling, storing, distributing or processing of Gypsum for a period of one year under the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017.

2. Old Registration No. (of existing dealers) ....

3. I/we have deposited Rs 2000/- (payable in case of new registration) as the application fee payable under rule 81(3) through e-payment, bank name .... GRN No.. ....dated....................

4. Following are the required particulars:-

   (A) Name of the applicant and address...
   ....

   (upload self attested copy of Aadhar card)

   (B) Telephone No. Office .... Residence .... Mobile No. ....
   PAN card No. .... (upload self attested copy)
   GSTIN No. .... (upload self attested copy)
   Email address ....
   Bank a/c No. ....
   IFSC code ....

   (C) In case the applicant is an individual:
   (1) Father's Name/Husband's Name
   (2) Caste
   (3) Occupation
   (4) Nationality

   (D) In case the applicant is Firm/Company/Association/Society:
   (1) Type of applicant
   (2) Kind of business
   (3) Place of business

(4) Place of registration
(5) Nationality of Director/Partners

(upload self attested copy of registration certificate, partnership deed, memorandum and articles of association, power of attorney / resolution as the case may be)

4. Add details of Stockyard

(1) District

(2) Tehsil

(3) Village, Khasra no. and type of land

(4) Upload Location map with coordinates

(5) Upload Patta / Rent agreement of Stock Yard

(6) Opening stock of mineral(s) in M.T.

Submit

FORM-B

A Dealer's Registration Certificate for business of buying, selling, storing, distributing or processing of Gypsum under Rule 81A of the Rajasthan minor mineral concession Rules 2017.

No. ....   Date...................................

Dealer Registration Certificate is hereby issued under the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules 2017, in favour of Shri/Smt./M/s .... for business of buying, selling, storing, distributing or processing of Gypsum at the stockyards indicated below for the period commencing from .... to ....

Details of Stockyard (1, 2, ...n)

1. District
2. Tehsil
3. Village, Khasra no and type of land
4. Address of Stockyard with coordinates

Guideline enclosed

Note: This is system generated document, hence does not require signature.

FORM -C

e-Transit Pass

Dealer's registration no. ....

GSTIN No. .... PAN no. ....

Transit pass no.................. Dated:...................

(1) Name and address of consigner ....

(2) Location of stockyard ....

(3) Name of mineral(s) ....

(4) Name and address of consignee ....

(5) Quantity (weight / volume) ....

(6) (a) Date of dispatch ....

(b) Time of dispatch ....

(c) Address where mineral is being sent ....

(7) (i) Mode of transport ....

(ii) Vehicle no. ....

(8) Mobile no. of vehicle driver ....

FORM -D

e-Monthly Return

(To be maintained by the registered dealer daily / regularly)

1. Dealer Registration No. ....
2. Name of the Registered Dealer ....
3. Full Address ....
4. Telephone No. Office .... Residence ....
5. Mobile No. ....
6. PAN card No. ....
7. GSTIN No. ....
8. Email address ....
9. Location of stockyard(s) ....
10. Add mineral details ....

S.No.	Year	Month	Date	Opening Balance of mineral
1	2	3	4	5

Source of Receipt with e-Rawanna / e-Transit Pass		Quantity of mineral received (in M.T.)	Total stock of mineral	Details of Dispatches with e-Transit Pass		Quantity of mineral consumed / dispatched (in (M.T.)	Closing Balance of mineral at stockyard
No.	Date			No.	Date		
6	7	8	9	10	11	12	13

Submit

क्रमांक:निखाभू / सीसी–IV / जिप्सम ई.टी.पी. / 2022–23 / 2854-2978 दिनांक 07.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2– विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, खान एवं गोपालन विभाग, राजस्थान,जयपुर।

3– अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / सतर्कता–मुख्यालय

4– अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / बीकानेर / कोटा

5– नोडल अधिकारी– DMGOMS, के.का., उदयपुर

6– अधीक्षण खनि अभियन्ता,उदयपुर / जयपुर / कोटा / जोधपुर / भरतपुर / बीकानेर / राजसमंद / अजमेर / भीलवाडा / जयपुर(सतर्कता) / उदयपुर(सतर्कता) / भीलवाडा(सतर्कता) / जोधपुर (सतर्कता) / बीकानेर (सतर्कता) / मुख्या. I / मुख्या. II / मुख्या. III

7– तकनीकी सहायक–निदेशक, के.का. उदयपुर।

8– को–नोडल अधिकारी, DMGOMS, के.का., उदयपुर

9– अधीक्षण भूवैज्ञानिक, उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा / भीलवाडा / जैसलमेर / फास्फेट–उदयपुर

10– खनि अभियन्ता,जयपुर / अलवर / झुंझुनू / सीकर / अजमेर / ब्यावर / मकराना / नागोर / उदयपुर / बांसवाडा / डूंगरपुर / प्रतापगढ / राजसमंद–1 / राजसमंद–II / आमेट / भीलवाडा / बिजौलिया / चित्तोडगढ / जोधपुर / बाडमेर / जालोर / सिरोही / सोजतसिटी / बीकानेर / जैसलमेर / श्रीगंगानगर / कोटा / बूंदी–I / बूंदी–II / रामगंजमण्डी / भरतपुर / धौलपुर / करौली / सतर्कता–जयपुर / सतर्कता–अजमेर / सतर्कता–अलवर / सतर्कता–उदयपुर / सतर्कता–भीलवाडा / सतर्कता–जोधपुर / सतर्कता–बीकानेर / सतर्कता–नागोर / सतर्कता–कोटा / सतर्कता–भरतपुर / सतर्कता–करौली /

11– वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, अजमेर / अलवर / जयपुर / टोंक / उदयपुर / उदयपुर(ट्राईबल) / बांसवाडा / भीलवाडा / चित्तोडगढ / राजसमंद / सिरोही / बाडमेर / जैसलमेर / जोधपुर / बीकानेर / नागोर / भरतपुर / कोटा / करौली /

12– सहायक खनि अभियन्ता, दौसा / कोटपूतली / नीमकाथाना / टोंक / गोटन / सावर / ऋषभदेव / सलुम्बर / निम्बाहेडा / चुरू / हनुमानगढ / झालावाड / बारा / रूपवास / सवाईमाधोपुर

13– अतिरिक्त निजी सचिव– निदेशक, के.का. उदयपुर

14– निजी सहायक– अनिखान(मु.) / अनि(प्र.), के.का., उदयपुर

15– रक्षित पत्रावली

(डी.पी.गौड)
अधीक्षण खनि अभियन्ता(मुख्या.II)